

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 44/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री योगेश मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, किशनगढ अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री निम्बार्क मिष्ठान भण्डार सलेमाबाद, तहसील किशनगढ
श्री रामू यादव पुत्र श्री रतन लाल यादव निम्बार्क तीर्थ, सलेमाबाद, पुलिस थाना रूपनगढ
.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 16.11.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.09.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, श्री योगेश मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री खान मोहम्मद खॉं, प्रवर्तन निरीक्षक श्री निम्बार्क मिष्ठान भण्डार, सलेमाबाद पर पहुँचे। उक्त फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि में किया जा रहा था। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए। फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग कर मिठाई, कचौरी व समौसा बनाकर विक्रय करने के कार्य में घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग करना पाया गया, जो घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी की फर्म से निम्न गैस सिलेण्डरों

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	751542-S	HPCL	15.4	18.4	3	Domestic Cylinder
2	795207	HPCL	15.6	15.6	0	Domestic Cylinder
3	449944	HPCL	16.7	19.5	2.8	Domestic Cylinder
4	134303-S	HPCL	16.2	28.2	12	Domestic Cylinder
5	018045-T	HPCL	15.7	23.7	8	Domestic

(अंश दीप)

जिला कलक्टर, अजमेर

						Cylinder
Total					25.8 Kg	

को कब्जेराज लिया गया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः पाँच घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक वॉल्व, पाईप एवं एक लोहे की भट्टी को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नंदसिंह, कार्मिक मैसर्स श्री अर्जुन एचपी गैस एजेन्सी, किशनगढ को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 12.09.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 12.9.2022 को जिला रसद अधिकारी के जांच दल द्वारा मेरे विरुद्ध घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से उपयोग करने पर मेरे विरुद्ध धारा 6 ए के तहत कार्यवाही की गई है। मुझे कानून की जानकारी के अभाव में स्वयं अज्ञानतावश उक्त कृत्य किया है आईन्दा मैं घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक कार्य में नहीं करूंगा। भविष्य में उक्त कृत्य नहीं किये जाने व प्रकरण निरस्त हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 12.09.2022 के अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया पाँच घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक वॉल्व, पाईप एवं एक लोहे की भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। साथ ही एक वॉल्व, पाईप एक लोहे की भट्टी की राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर